महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या–173/9–1–13– 30 टी/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,उ.प्र.।
2. समस्त, जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3. निदेशक,
   स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊःदिनांकः09 जनवरी, 2014

विषयः– नागर निकायों में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों (जिसमे सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित) के पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान चेक से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4718/9–1–12–30 टी/2008, दिनांक 8–11–2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 8–11–2012 का आशय है कि सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागर निकायों में नियोजित ऐसे कर्मचारी/श्रमिक जिसमे सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित है, उनको निकायों में नियोजित करने के पूर्व सेवाप्रदाता एजेन्सी का दायित्व होगा उनका राष्ट्रीयकृत बैंक में तत्काल खाता खुलवाकर उनके वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान चेक के माध्यम से करेगें तथा सेवाप्रदाता एजेन्सी अपने समस्त कर्मचारियों/श्रमिको का परिचय पत्र भी अपने स्तर से जारी करेगें।

3 कृपया अपने मण्डल/जनपद में स्थित नागर निकायों से सम्बद्ध सेवाप्रदाता एजेंसियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह) 08/01/2014
सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त महापौर,नगर निगम,उ0प्र0।
2. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत,उ.प्र.द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा,उ0प्र0,इलाहाबाद।
4. कम्प्यूटर सेल को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. नगर विकास अनुभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।